रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 405] दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 9, 2017/कार्तिक 18, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 321

No. 405] DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 9, 2017/KARTIKA 18, 1939 [N.C.T.D. No. 321

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व–1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 8 नवम्बर, 2017

संख्या 33/2017 - राज्य कर

सं.फा. 03(38)/ वित्त (राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/717—दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 1 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, 18 सितंबर, 2017 को उस तारीख के रूप से नियत करते है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के उपबंध, उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :--

(क) किसी कार्य को करने के लिए साम्या या नियंत्रण द्वारा इक्यावन प्रतिशत या अधिक की भागीदारी के साथ,—

(i) संसद् या किसी राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा गठित ; या

(ii) किसी सरकार द्वारा स्थापित,

कोई प्राधिकरण या बोर्ड या कोई अन्य निकाय ;

(ख) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित कोई सोसाइटी ;

(ग) पब्लिक सेक्टर उपक्रम :

परंतु उक्त व्यक्ति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता को किए गए या जमा किए गए संदाय से कर की कटौती करने का दायी होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप सचिव–VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 8th November, 2017

No. 33/2017 - STATE TAX

No.F3 (38)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/717.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints the 18th day of September, 2017 as the date on which the provisions of sub-section (1) of Section 51 of the said Act shall come into force with respect to persons specified under clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 51 of the said Act and the persons specified below under clause (d) of sub-section (1) of Section 51 of the said Act, namely:-—

(a) an authority or a board or any other body, -

(i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or
(ii) established by any Government,

with fifty-one percent or more participation by way of equity or control, to carry out any function;

(b) society established by the Central Government or the State Government or a Local Authority under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860);

(c) public sector undertakings:

Provided that the said persons shall be liable to deduct tax from the payment made or credited to the supplier of taxable goods or services or both with effect from a date to be notified subsequently, on the recommendations of the Council, by the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.11.13 20:09:05 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.